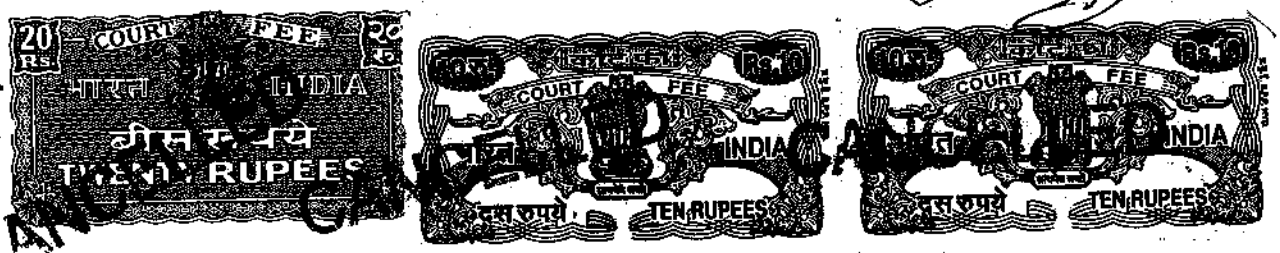

समक्ष – न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर, कैम्प जबलपुर म.प्र.

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक – निग - 1902-II-14

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकर्ता
23 MAY 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

1– उर्मिला पुत्री स्व0 श्री ब्रम्हलाल लांबा,

2– सुभाष लांबा पुत्र स्व0 श्री ब्रम्हलाल लांबा,

3– गुलशन लांबा पुत्र स्व0 श्री ब्रम्हलाल लांबा,

4– कु0 सरोज पुत्री स्व0 श्री ब्रम्हलाल लांबा,

सभी निवासी – सरस्वती शिशु मंदिर के पास, नई बस्ती, कटनी, जिला कटनी

—— **आवेदकगण**

बनाम

1– अनिल आसरानी पिता स्व0 श्री चंदीराम आसरानी

2– लक्ष्मी देवी पति श्री गोपीचंद छाबड़ा

दोनों निवासी गोधू दूध डेयरी के पास, कैरिन लांईन, माधवनगर, कटनी, तहसील व जिला कटनी म0प्र0

—— **अनावेदकगण**

:: **आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959** ::

उपरोक्त आवेदकगण निम्नलिखित प्रार्थना करते है –

न्यायालय श्रीमान कमिश्नर महोदय, जबलपुर संभाग जबलपुर के द्वारा पुर्नविलोकन प्रकरण कमांक 41/अ–20 (1)– 2012–13 मोतिया देवी वगै. वि. अनिल आसरानी वगै. में पारित आदेश दिनांक 13–8–2013 (तेरह अगस्त सन् दो हजार तेरह) से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :–

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1902-दो/14 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-7-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 41/अ-20(1)2012-13 में पारित आदेश दिनांक 13-8-2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण लीज नवीनीकरण का है कलेक्टर द्वारा नवीनीकरण विधिसम्मत न पाते हुए आवेदकक का आवेदन खारिज किया गया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 4(अ) की कंडिका 19 अ, ब के तहत अभ्यावेदन पेश किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 8-1-13 द्वारा निरस्त किया गया, इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयक में राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 4(अ) की कंडिका 19 अ, ब के तहत पुनरावलोकन पेश किया गया जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि यह प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र का है, जिसके तहत सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने के कारण निरस्त की जाती है । 2/ उभयपक्ष सूचित हों तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाये । सदस्य	